सरोकार साझा मंच ने रचनाएं आमंत्रित कीं

इंदौर सरोकार साझा मंच के मई माह के बैठक में चित्र पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की गयीं। उपाध्यक्ष अर्चना त्रिवेदी ने 'तीन चित्र : तीन विषय' का विवरण देते हुए रचनाएं आमंत्रित कीं।आज के मुद्दे.' महंगाई, पढ़ाई का बोझ, और दाम्पत्य जीवन मे क्लेश का बच्चों पर प्रभाव'- पर आधारित चित्रों पर अमिता मरोठे, , गायत्री ठाकुर,सरला मेहता वंदना शर्मा, अनीता झा, संगीता चौहान, माधुरी निगम, मनोरमा पांडे अंजू मोटवानी और करुणा प्रजापति ने कविता, लघु कथा और लेख के माध्यम से आपने विचार पेश किये। आज के माहौल में शिक्षा प्रणाली, घर परिवार की जिम्मेदारी, और बच्चों की परेशानी, बढ़ते बोझ और अनिश्चित भविष्य को लेकर सभी ने चिंता प्रकट की। एकमत से बच्चों की मानसिक तनाव, अवस्था , विचलन के लिए घर बाहर के माहौल को जिम्मेदार बताया गया। यह भी कि माता -पिता के सकारात्मक सहयोग के बिना न घर संभल सकता है न समाज न देश। अध्यक्ष महिमा शुक्ला ने तीनों मुद्दों पर सरकार, समाज और माता पिता से समाधान के उपाय तलाशने की जरूरत बताई। सबका आभार प्रकट करते हुए उन्होंने आगे भी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा साथी रचनाकारों से भाग लेने के लिए आग्रह किया।

यात्री बसों और वाहनों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वसूला 65,500 रू. का जुर्माना

इंदौर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा एवं कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार आरटीओ इंदौर तथा संभागीय परिवहन उड़नदस्ते द्वारा यात्री बसों एवं अन्य वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस सघन कार्रवाई के दौरान विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों से कुल 65 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।आरटीओ की टीमों ने धार रोड, राऊ और पीथमपुर क्षेत्र में मुस्तैदी दिखाते हुए यात्री वाहनों को रोककर उनके परमिट, फिटनेस, बीमा समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया। इसके साथ ही वाहनों का तकनीकी निरीक्षण भी किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे फिटनेस और परमिट की शर्तों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। अभियान के दौरान बसों में फायर सेफ्टी उपकरण और स्पीड गवर्नर की कार्यप्रणाली को भी जांचा गया। अधिकारियों ने केवल कागजों की जांच नहीं की, बल्कि बसों में सफर कर रहे यात्रियों से सीधे फीडबैक भी लिया। यात्रियों से पूछा गया कि वाहन चालक बस को तेज गति से तो नहीं चला रहे हैं या गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं।

10 जून तक चलेगा विशेष पैचवर्क अभियान

इंदौर । आगामी वर्षा ऋतु के दौरान शहरवासियों को जर्जर सड़कों और गड्ढों की समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव एवं आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार, शहर की प्रमुख और सबसे व्यस्तम सड़कों पर 10 जून से पहले विशेष पैचवर्क अभियान चलाकर उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। निगम प्रशासन ने मैदानी अधिकारियों को साफ कर दिया है कि सड़क सुधार का यह काम उच्च गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरा होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।अभियान के तहत नगर निगम की टीमें शहर के अलग-अलग हिस्सों में युद्ध स्तर पर डामरीकरण और पैचवर्क के काम में जुट गई हैं। शुरुआती चरण में एम.आर.-10 रोड, राजकुमार ब्रिज, स्टार चौराहा से रेडिसन चौराहा मार्ग, पल्लहर नगर 60 फीट रोड, धार रोड तथा रिंग रोड के विभिन्न प्रभावित हिस्सों में पैचवर्क का कार्य तेजी से पूरा किया गया। इसके बाद भी अभियान थमा नहीं है और राजकुमार ब्रिज, रेडिसन से स्टार चौराहा मार्ग, रिंग रोड, एम.आर.-10 रोड और कालानी नगर मुख्य मार्ग सहित शहर के कई अन्य महत्वपूर्ण रास्तों पर पैचवर्क का काम लगातार जारी है।

स्मार्ट सीटी के नाम पर उजाड़े जा रहे इन्दौर की दर्दनाक व्यथा

इन्दौर (प्रकाश महावर कोली देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान बनाने वाला इन्दौर आज अनेक स्थानीय समस्याओं से जूझ रहा है। बाहरी चमक-दमक और बड़े-बड़े आयोजनों के बीच आम नागरिक रोजमर्रा की परेशानियों से त्रस्त है। विकास के नाम पर भाजपा ने जनता से बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शहर का आम आदमी पानी, ट्रैफिक, टूटी सड़कों, अव्यवस्थित निर्माण और बढ़ती महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहा है।

विकास या विनाश?

पिछले लगभग तीन दशकों से इन्दौर की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया और लगातार जनप्रतिनिधि चुने। वर्तमान में सांसद, महापौर, 9 विधायक एवं शहर के दो विधायक कैलाश विजयवर्गीय ओर तुलसी सिलावट शासन के नगरीय प्रशासन तथा जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं। इन्हें

जनता ने इस उम्मीद से चुना था, कि शहर योजनाबद्ध तरीके से विकसित होगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि

सड़क चौड़ीकरण और तथाकथित विकास कार्यों के नाम पर सैकड़ों साल पुराने मकानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को तोड़ा जा रहा है।

कई परिवारों की जीवनभर की पूंजी कुछ घंटों में मलबे में बदल गई। जिन लोगों ने वर्षों की मेहनत से अपने घर और व्यापार खड़े किए, उन्हें पर्याप्त मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं मिल पाई।

जनता सवाल पूछ रही है कि क्या विकास का मतलब केवल बुलडोजर चलाना है? क्या शहर की ऐतिहासिक पहचान और नागरिकों की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं?

जल संकट : स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी विफलता

इन्दौर नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर में भीषण जल संकट पैदा हो चुका है। कई क्षेत्रों में नागरिकों को दो-दो, तीन-तीन दिन तक पानी नहीं मिल रहा। सुबह से महिलाएं और बुजुर्ग पानी भरने के लिए लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं।

विडंबना यह है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई जल योजनाओं के बावजूद लोगों के घरों तक नियमित पानी नहीं पहुंच पा रहा। नगर निगम टंकियों से टैंकर भरकर वार्डों में पानी भेज रहा है। इससे भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप भी लग रहे हैं।

यदि यही पानी व्यवस्थित पाइपलाइन और नल व्यवस्था से घर-घर पहुंचाया जाए तो नागरिकों को इस अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पड़े।

ट्रैफिक और अव्यवस्थित सड़कें

इन्दौर में ट्रैफिक समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। हर दिन शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में लंबा जाम लगता है। सड़क निर्माण कार्य महीनों तक अधूरे पड़े रहते हैं, जिससे धूल, गड्ढों और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

बारिश के मौसम में अनेक सड़कें तालाब में बदल जाती हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कुछ ही महीनों में सड़कें उखड़ जाती हैं। जनता पूछती है कि आखिर इन निर्माण कार्यों की जवाबदेही किसकी है?

कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव :-

शहर की अनेक कॉलोनियों में आज भी सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं अधूरी हैं। नई कॉलोनियां तो तेजी से बस रही हैं, लेकिन वहां नागरिक सुविधाओं की भारी कमी है।

बारिश में गंदा पानी घरों में भर जाता है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है।

बढ़ता प्रदूषण और घटती हरियाली :-

एक समय हरियाली के लिए प्रसिद्ध इन्दौर आज तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदलता जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों में हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।

धूल, धुआं और अव्यवस्थित निर्माण कार्यों ने आम नागरिकों का जीवन प्रभावित कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण केवल भाषणों तक सीमित दिखाई देता है।

युवाओं और व्यापारियों की परेशानी

शहर में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बढ़ पा रहे। छोटे व्यापारी लगातार आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। बाजारों में अव्यवस्थित पार्किंग, अतिक्रमण और प्रशासनिक कार्रवाई के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है।

युवा रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।

नवाचार के नाम पर दिखावा?

भाजपा सरकार और नगर निगम द्वारा नवाचार और ब्रांडिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बड़े-बड़े कार्यक्रम, प्रचार और इवेंट आयोजित किए जाते हैं, लेकिन आम नागरिक की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

जनता अब यह महसूस करने लगी है कि शहर की वास्तविक समस्याओं की बजाय केवल छवि निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

जनता जवाब मांग रही है

इन्दौर की जनता अब केवल विज्ञापन और नारों से संतुष्ट नहीं है। लोग पारदर्शिता, जवाबदेही और वास्तविक विकास चाहते हैं।

स्मार्ट सिटी का सपना तभी पूरा होगा जब हर नागरिक को पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा और सम्मानपूर्वक जीवन की सुविधाएं मिलेंगी।

विकास का अर्थ केवल चमकती सड़कें और बड़े-बड़े आयोजन नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। आज इन्दौर का नागरिक यही सवाल पूछ रहा है –

क्या शहर का विकास वास्तव में जनता के लिए हो रहा है, या केवल सत्ता और ठेकेदारी के लिए?

बरलाई शिप्रा एवं मांगलिया स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाई जाए

इंदौर किसान नेता हंसराज मंडलोई ने बरलाई शिप्रा एवं मांगलिया स्टेशन का दौरा किया किसान नेता ने कहा सिंहस्थ कुंभ 2028 को देखते हुए दोनों स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाई जाए क्षेत्रीय निवासियों की मांग मंत्री का क्षेत्र इसके बाद में रेलवे के मामले में शिप्रा मांगलिया क्षेत्र उपेक्षित मांगलिया क्षेत्र के निवासियों की मांग लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टॉपेज मांगलिया रेलवे स्टेशन पर किया जाए किसान नेता हंसराज मंडलोई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि आज किसान नेताओं का प्रतिनिधि मंडल बरलाई शिप्रा एवं मांगलिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचा एवं सिंहस्थ कुंभ 2028 के तहत चलने वाले विकास कार्यों का निरीक्षण किया तो कहीं खामियां पाई गई इसके साथ ही निर्माण कार्यों में रेलवे ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार की भी कहानी सामने आई जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है किसान नेता ने आगे कहा की प्रदेश एवं केंद्र सरकार को कम से कम हिंदुओं के पवित्रतम सिंहस्थ कुंभ 2028 के कार्यों में भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए इसके साथ ही किसान नेताओं ने मांग की की पुराने मुंबई आगरा रोड से मांगलिया रेलवे स्टेशन तक रोड को फोरलेन बनाया जाए इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बड़े ब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि यह सड़क ढाबली होते हुए मांगलिया व्यास खेड़ी रोड में जुड़ जाए इसके साथ ही मांग लिया रेलवे क्रॉसिंग से मांगलिया स्टेशन को जोड़ने वाले कच्चे मार्ग को पक्का किया जाए एवं बरलाई रेलवे स्टेशन पर भी विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाए साथ ही बरलाई शिप्रा स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन के ऊपर लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टॉपेज मांगलिया रेलवे स्टेशन पर किया जाता है रेलवे की आई भी बहेगी क्योंकि इंदौर का लगातार विस्तार देवास की तरफ हो रहा है किसान नेताओं ने कहा की केंद्रीय प्रदेश सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दें अन्यथा मजबूरी में क्षेत्रीय निवासी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे

होटल मैनेजमेंट सर्वे में इंदौर का दबदबा,

इंदौर । स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (एसआईएचएम) इंदौर ने प्रतिष्ठित जीएचआरडीसी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सर्वे 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश और पूर्वी-मध्य भारत क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। संस्थान को विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय रैंक प्राप्त हुई है, जिससे होटल मैनेजमेंट शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर का गौरव बढ़ा है।इस राष्ट्रीय सर्वे में एसआईएचएम इंदौर को मध्य प्रदेश के सभी शासकीय होटल प्रबंधन संस्थानों में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं, पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र के शासकीय संस्थानों में संस्थान को पाँचवीं रैंक तथा अखिल भारतीय स्तर पर पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र की श्रेणी में 16वीं रैंक हासिल हुई है। इसके साथ ही राज्य-स्वामित्व वाले होटल प्रबंधन संस्थानों की श्रेणी में एसआईएचएम इंदौर ने प्रथम स्थान का गौरव प्राप्त किया है।यह रैंकिंग भौतिक एवं शैक्षणिक अधोसंरचना, संकाय शोध एवं प्रकाशन, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रणाली तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं उद्योग जगत से जुड़ाव जैसे प्रमुख मानकों के आधार पर जारी की गई। कुल 1450 अंकों में से संस्थान ने 924.44 अंक अर्जित किए हैं। विशेष रूप से प्लेसमेंट तथा संकाय शोध एवं प्रकाशन के क्षेत्र में संस्थान को अत्यंत सराहनीय अंक प्राप्त हुए हैं।

देपालपुर का स्वच्छता मॉडल देखने पहली बार पहुंचे अन्य राज्यों के अधिकारी

इंदौर स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के अंतर्गत इंदौर नगर निगम के मार्गदर्शन में नगर परिषद देपालपुर द्वारा स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य अब देश के अन्य राज्यों के नगरीय निकायों के लिए भी अध्ययन का विषय बनते जा रहे हैं। महापौर पुष्पमित्र भार्गव एवं आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार तीन दिवसीय अध्ययन एवं एक्सपोजर विजिट के तहत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से राजस्थान सरकार की विभिन्न नगरपालिकाओं के अधिकारियों के दल ने बुधवार को देपालपुर का भ्रमण किया।

यह देपालपुर के लिए एक ऐतिहासिक अवसर रहा, क्योंकि पहली बार अन्य राज्यों के नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी, आयुक्त, जेईएन, एक्सईएन, सीएसआई, एसआई एवं राजस्व अधिकारी देपालपुर के उभरते हुए वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल और स्वच्छता सुधार को देखने पहुंचे। इससे पूर्व इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त प्रखर सिंह ने दल को विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्वच्छ शहर जोड़ी पहल और देपालपुर में किए जा रहे सुधारात्मक कार्यों की तकनीकी जानकारी दी।

अन्य धर्म में विवाह करने वाले दंपती की याचिका खारिज, अदालत ने कहा- सुरक्षा व्यवस्था देखना पुलिस का काम, कोर्ट नहीं कर सकती माइक्रो मैनेजमेंट

सिर्फ सामान्य आशंका के आधार पर नहीं दे सकते 24 घंटे पुलिस सुरक्षा : हाई कोर्ट

इंदौर । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने अन्य धर्म में विवाह करने वाले एक दंपती को चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने से साफ इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए टिप्पणी की है कि केवल सामान्य आशंकाओं या संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर किसी को भी निरंतर व्यक्तिगत सुरक्षा देने के आदेश जारी नहीं किए जा सकते।

न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की एकल पीठ ने रतलाम शहर में रहने वाले एक दंपती द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया। याचिका में दंपती ने अपनी जान को खतरा बताते हुए 24 घंटे पुलिस सुरक्षा और रात के समय विशेष सुरक्षा देने की मांग की थी।

:: सुरक्षा के लिए आ रही याचिकाओं पर कोर्ट ने जताई चिंता ::

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस तरह की याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि यह अदालत देख रही है कि लगभग हर अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में याचिकाओं का एक पूरा बंडल आ रहा है, जहां जोड़े बिना किसी स्पष्ट, पुख्ता और अचूक साक्ष्य के निरंतर पुलिस सुरक्षा की मांग करते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करना और उसे संभालना सुरक्षा एजेंसियों का काम है। अदालत इसके तौर-तरीके तय करने के लिए कोई एकमुश्त आदेश (ब्लैंकेट ऑर्डर) जारी नहीं कर सकती और न ही सुरक्षा प्रतिष्ठान की भूमिका खुद अपने हाथों में ले सकती है।

:: संदेह के आधार पर नहीं मिल सकते सशस्त्र गार्ड ::

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि असाधारण व्यक्तिगत सुरक्षा की मांग करने वाली हर याचिका के लिए जीवन को वास्तविक और आसन्न खतरा होने का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए। केवल सामान्य आशंका या किसी संदिग्ध वाहन के दिखने जैसी छिटपुट घटनाओं के आधार पर सशस्त्र गार्ड तैनात नहीं किए जा सकते। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय पुलिस द्वारा नियमित गश्त (पेट्रोलिंग) और जांच की जानी चाहिए, न कि व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड दिए जाएं।

:: 2019 में आर्य समाज मंदिर में की थी शादी ::

मामले के अनुसार, रतलाम के इस जोड़े ने साल 2019 में दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया था। याचिका के मुताबिक, युवती पहले इस्लाम धर्म मानती थी और उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया था। विवाह और धर्मांतरण की जानकारी जैसे ही युवती के माता-पिता को मिली, उन्हें युवती के परिवार और अन्य लोगों से जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। इसके बाद साल 2022 में यह जोड़ा पहली बार हाई कोर्ट पहुंचा था, जहां अदालत ने रतलाम एसपी को निरंतर सुरक्षा देने पर विचार करने के निर्देश दिए थे।

:: सुरक्षा हटाने पर दोबारा पहुंचे थे कोर्ट ::

मौजूदा याचिका में दंपती ने कोर्ट को बताया कि 13 अप्रैल को बिना किसी प्रशासनिक कारण के उनकी सुरक्षा में तैनात सशस्त्र गार्ड को हटा दिया गया और उसकी जगह होमगार्ड के एक जवान को तैनात कर दिया गया, जिसके पास न तो बंदूक थी और न ही मोबाइल फोन। दंपती ने कार रोकने के प्रयास और घर के आसपास संदिग्ध गाड़ियों के घूमने का हवाला देकर दोबारा पुख्ता सुरक्षा मांगी थी, जिसका राज्य सरकार ने कड़ा विरोध किया।

:: कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का संवैधानिक कर्तव्य ::

हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि 2022 में रतलाम एसपी को दिए गए निर्देश का मतलब यह कतई नहीं था कि दंपती को स्थायी रूप से 24 घंटे सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे पुलिस सुरक्षा के माइक्रो मैनेजमेंट (बारीक प्रबंधन) में दखल नहीं दे सकते। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा करना पुलिस प्रशासन का पूर्ण वैधानिक और संवैधानिक कर्तव्य है। यदि कोई शिकायत मिलती है, तो अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत त्वरित और उचित कदम उठाने होंगे।

कार्टून कोना